कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांक: आर– 8 / जे0डी0 / लखनऊ–13(गौतम) 19 दिनांक:जनवरी 10 ,2013

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

विषय: **मैसर्स कैपीटल इन्फ्राटेक होम प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–12ए0/2 सेक्टर–01, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निमार्ण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 04–01–2012 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक मेरठ को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा अभिलेखो का परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:–

भवन की संरचना:–

प्लाट एरिया–33,941.79 वर्ग मी0।

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया	टिपिकल कवर्ड एरिया	ऊँचाई मी0 मे
1	टावर–01	02बेस0,भूतल एवं 03	590.260	540.544	12.15
2	टावर–02	02बेस0,भूतल एवं 10	594.723	537.379	33.15
3	टावर–03	02बेस0,भूतल एवं 18	594.723	537.379	57.15
4	टावर–04	02बेस0,भूतल एवं 18	594.723	537.379	57.15
5	टावर–05	02बेस0,भूतल एवं 23	589.915	511.713	72.15
6	टावर–06	02बेस0,भूतल एवं 23	589.915	511.713	72.15
7	टावर–07	02बेस0,भूतल एवं 23	589.915	511.713	72.15
8	टावर–08	02बेस0,भूतल एवं 18	428.011	381.997	57.15
9	टावर–09	02बेस0,भूतल एवं 18	428.011	381.997	57.15
10	टावर–10	02बेस0,भूतल एवं 18	428.011	381.997	57.15
11	टावर–11	02बेस0,भूतल एवं 18	428.011	381.997	57.15
12	कामर्शियल	भूतल	933.282	–	04.00
13	कम्यूनिटी	भूतल	631.141	–	04.00
13	बेसमेन्ट अपर	29,048.296			
14	बेसमेन्ट लोवर	29,048.296			

भवन का अधिभोग विवरण:–

प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1– **पहुच मार्गः**– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 60 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2– **सैटबेकः**– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–15.00 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–09.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–09.00 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3– **निकास मार्गः**– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है प्रत्येक स्टेयर की चौडाई 1.5 एवं 1.25 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4– **रिफ्यूज एरियाः**– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगतः– प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 लीख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पसः– भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–टेरिस टैंकः 72.15 एवं 33.15 मीटर ऊॅचे टावरो की टेरिस पर टेरिरा टैंक क्रमशः क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0, एवं शेष टावरो की टेरिस पर 10,000 हजार ली0 क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–होजरील मय डाउनकामरः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक ब्लाक/टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– दोनो बेसमेन्ट एवं 45 मीटर से ऊॅचे टावरों के सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः– टावर 01 अतिरिक्त समस्त टावरो के सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

10–स्मोक एक्स्ट्रेंक्शनः– प्रश्नगत भवन मे 02 बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–एग्जिट साईनेज एवं पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एवं पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉछनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स कैपीटल इन्फ्राटेक होम प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–12ए0/2 सेक्टर–01, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्वनगर मे भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्या0
लखनऊ।

प्रतिलिपिः1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–मैसर्स कैपीटल इन्फ्राटेक होम प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–12ए0/2 सेक्टर–01, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्वनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।